

अज अदालत - सब डिविजनल ऑफिसर

मुकाम - फुलियाकलां

ललीता देवी

बनाम

शुभ बालकू माजी

किस्म मुकदमा - 88, 89, 188 आर टी एकट

प्रकरण संख्या - 8 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम तामील से जारी हुए
4/3/22	<p>वकील वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एकट विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 21/4/22 को पेश हो।</p> <p><i>nikas</i> 21/4/22 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>24/6/22 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>24/6/22 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>31/8/22 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>16/11/22 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>25/11/22 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>25/11/23 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p> <p>12/4/23 पत्रावली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कर्तव्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधारे अवकाश में है। अज पत्रावली आईन्दा विभाग का पेशा हुआ।</p>	

12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। वादीया अधिवक्ता ने आज सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन करते हुए, हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत घोषणा, दुरुस्तिकरण, स्थाई निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी के वादपत्र को वादी पक्ष द्वारा नोट प्रेस कर दिये जाने से इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

NOT PRESS
By me
अधिवक्ता
वादी

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाडा